न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 22/2015

अपीलांट		रेस्पोडेटस
देदाराम पुत्र सादुलाराम के कायम मुकाम पदमाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी थलेसो की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु 2. चिमाराम पुत्र हरचंदराम 3. आईदानराम पुत्र हरचंदराम 4. कुम्भाराम पुत्र हरचंदराम 5. भीखाराम पुत्र हरचंदराम जाति जाट निवासी झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश दिनांक 15.9.2015 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ना.तहसीलदार उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 उपस्थित।

आदेश दिनांक 09.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा नंबर 494/385 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा मौजा थलेसो की ढाणी तहसील बायतु में आई हुई है। इस भूमि के जोड़ा जोड़ रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 का खातेदारी खेत मौजा झाक मूल खसरा नंबर 332 मौजूदा खसरा नंबर 508/332, 506/332 एवं 331 व 330 आये हुए है। उक्त खसरो का रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 द्वारा आपस में विभाजन किया हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने अपीलांट को धोखे में रखकर खसरा नंबर 494/385 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा में से 01 बीघा राज्य सरकार के हक में समर्पित करवा कर विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बायतु से आदेश दिनांक 15.9.2015 पारित करवाया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई।

4. अपीलांट के कायम मुकाम द्वारा अपीलांट की फौतगी का प्रमाण–पत्र संलग्न् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि समर्पित की गई भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आम रास्ते हेतु ग्रेवल सड़क बना दी है। उसके पिता देदाराम जिनके द्वारा अपील दायर की गई थी, का स्वर्गवास हो चुका है। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते। उक्त अपील को इसी स्टेज पर विड्रो करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

5. अपीलांट द्वारा अपील विड्रो करने बाबत पेश प्रार्थना पत्र को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट की अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)